

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्याय आपके द्वार 2018

जब अदालत

सहायक कलेक्टर बालमुकाम

सहायक कलेक्टर बालमुकाम

वैरिंह

बनाम

सरदार सिंह

किस मुकदमा

127

नं.

127 सन 2005

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

6-18

पुनर्विचार के लिये अर्ज दिये जाने पर
कोर्ट ने अर्ज को खारिज कर दिया है।
अर्जकर्ता को अर्ज करने में उचित
सावधानी बरतनी चाहिए। (अर्जकर्ता)
जारी का मुकदमा बाद खारिज हो
गया है। मुकदमा खारिज होने पर
के अलावा अन्य जर्जि का कार्य
का अन्तर्गत निवेदन को भी
खारिज किया जाता है। जब तक
अर्जकर्ता अर्ज नहीं करता तब तक
मुकदमा चलता रहेगा। अर्जकर्ता को
अर्ज करने पर अर्ज करने के लिये
अर्ज करने पर अर्ज करने के लिये
अर्ज करने पर अर्ज करने के लिये


सहायक कलेक्टर
बालमुकाम

